



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1247/2026

प्रदीप कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: जी.ए., संजीव कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: गुलाफशा, मोहम्मद शाह लियाकत रऊफ, उमर जमीन

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सिंह और मुखबिर के अधिवक्ता श्री उमर जमीन और राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को भी देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 0463/2025, धारा 103(1), 190, 191(2), 191(3) के अंतर्गत बीएनएस, पुलिस स्टेशन - गगहा, जिला - गोरखपुर में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. शुरू में, आवेदक के अधिवक्ता ने सह-आरोपी के साथ समानता होने का दावा किया है, लेकिन उनका मामला सह-आरोपी के साथ समानता नहीं है क्योंकि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्राथमिकी लगभग दो दिन की देरी से दर्ज की गई, जिसके लिए अभियोग पक्ष ने कोई सही वजह नहीं बताई। आगे कहा गया कि यह गलत पहचान का मामला था, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति पर हमला किया गया था, क्योंकि उसे गलती से चोर समझ लिया गया था। भीड़ द्वारा हत्या का कथित अपराध 17 लोगों ने मिलकर किया बताया गया है, जिसमें मौजूदा आवेदक की कोई खास या व्यक्तिगत भूमिका नहीं बताई गई है।

6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को कोई भी खुला काम नहीं सौंपा गया है और आवेदक 23.08.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. इसके उलट, राज्य विधि अधिकारी और सूचना देने वाले के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों और इस बात पर भी सवाल नहीं उठा पाए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और इस बात पर भी ध्यान देते हुए कि आवेदक का नाम FIR में नहीं है और उस पर कोई साफ काम नहीं किया गया है, पहली नजर में मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का यह सही मामला लगता है। जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

9. आवेदक- **प्रदीप कुमार**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(सिद्धांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।